प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1008/2004

[एकल पीठ; माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा]

अपीलार्थी - कृष्ण दास, पिता फिर्तू दास महंत, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी खम्हार, पुलिस चौकी-रोबी, थाना-खरसिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना-बराद्वार, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11.10.2007)

श्री आर.के. जायसवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए ।

श्री अरुण साहू, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य के लिए।

यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 319/2004 में दिनांक 19.10.2004 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 397/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि दिनांक 09.05.2004 को सायं लगभग 19:15 से 20:15 बजे के बीच, अपीलार्थी अपने अन्य सह-अभियुक्त के साथ शिकायतकर्ता संदीप जैन एवं संजय जैन की दुकान में आभूषण खरीदने के बहाने प्रवेश किया। जब शिकायतकर्ता संदीप जैन अपीलार्थी को आभूषण दिखा रहे थे, उसी समय अपीलार्थी ने पिस्तौल की धमकी देकर लगभग 2,000/- रुपये मूल्य का गोल्डन पॉलिश का नेकलेस

एवं टॉप्स लूट लिए और वहां से भागने लगा। उसका साथी दुकान के सामने मोटरसाइकिल लेकर तैयार खड़ा था। जब वे घटना स्थल से भागने का प्रयास कर रहे थे, तब शिकायतकर्ता एवं संजय जैन ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई। हालांकि, अभियुक्त को पकड़ लिया गया, और इस प्रक्रिया में अभियुक्त को भी कुछ चोटें आईं, जबकि उसका साथी सोहन मौके से भागने में सफल हो गया।

घटना की शिकायत शिकायतकर्ता संदीप जैन द्वारा उसी दिन रात्रि 21:00 बजे प्र.पी.-1 के माध्यम से दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान अपीलार्थी को उसी दिन प्र.पी.-5 के तहत गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से मोटरसाइकिल, गोल्डन पॉलिश का नेकलेस एवं टॉप्स, एयर पिस्टल आदि को प्र.पी.-6 के अनुसार जप्त किया गया। अपीलार्थी से एक चाकू भी प्र.पी.-7 के तहत जप्त किया गया। शिकायतकर्ता संदीप जैन को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बराद्वार भेजा गया, जहां डॉ. पी. सिंह (अ.सा.-7) ने उसका परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्र.पी.-9 प्रस्तुत की। संजय जैन (अ.सा.-9) को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसकी जांच प्रतिवेदन प्र.पी.-11 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया तथा तत्पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक किया। उसने अपने बचाव में डॉ. (श्रीमती) ललिता राजनाला का परीक्षण भी कराया। तथापि, दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, दोषसिद्ध कर दंडित किया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता एवं संजय केडिया (अ.सा.-4) के अभिकथनों में अपीलार्थी से चाकू की जप्ती के संबंध में महत्वपूर्ण

विरोधाभास एवं लोप हैं। अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाया है कि चाकू की जप्ती अपीलार्थी के कब्जे से की गई, जबकि इन साक्षियों ने कहा है कि उक्त चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया था।

इसके अतिरिक्त, संदीप जैन को लगी चोटों के संबंध में भी विरोधाभास है, क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे कठोर एवं भोंथरे वस्तु से चोट पहुंची, जबकि चिकित्सक की राय है कि चोटें चाकू से लगी हैं। अपीलार्थी से बरामद पिस्तौल वास्तव में एक खिलौना पिस्तौल है और विवेचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपने केस डायरी कथन में यह उल्लेख नहीं किया था कि उस पर चाकू से हमला किया गया। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने अपीलित निर्णय का समर्थन किया।

मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ-साथ अपीलित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

शिकायतकर्ता संदीप जैन (अ.सा.-1) ने अपने अभिकथन में कहा है कि घटना की तिथि एवं समय पर वह अपने भाई संजय जैन (अ.सा.-9) के साथ अपनी आभूषण की दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय अपीलार्थी आभूषण खरीदने के बहाने उनकी दुकान पर आया और लगभग एक घंटे तक वहीं रुका रहा, जबकि उसका एक साथी इधर-उधर घूमता रहा।

अचानक अपीलार्थी ने आभूषण उठा लिए, अपनी जेब से बंदूक निकालकर उसे आभूषण देने को कहा। उसी समय उसके भाई संजय ने अभियुक्त पर हमला कर दिया, जिससे अभियुक्त घबरा गया और दुकान से बाहर भागने लगा, परंतु उसके भाई ने उसे पकड़ लिया। उसका साथी भी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर मौके से भागने का प्रयास करने लगा।

उसने आगे कहा कि अपीलार्थी ने उसके बाएं हाथ पर किसी कठोर वस्तु से वार किया, जिससे उसे चोट आई और खून निकलने लगा। उसके चिल्लाने पर रानू घोष, सुनील

कलानी तथा अन्य कई लोग वहां आ गए और अपीलार्थी को पकड़ लिया, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई।

संजय जैन (अ.सा.-9) का कथन भी इसी प्रकार का है, जिसने महत्वपूर्ण तथ्यों में शिकायतकर्ता के कथन की पुष्टि की है। इनके कथन का आगे समर्थन संजय अग्रवाल (अ.सा.-2) के कथन से भी होता है, जो घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल पर नाली में पड़ा हुआ देखा। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि संजय एवं संदीप को चोटें आई थीं और उनसे खून निकल रहा था, तथा मोटरसाइकिल एवं बंदूक घटनास्थल पर पड़ी हुई थीं।

संजय केडिया (अ.सा.-4) ने अपीलार्थी से चाकू की जप्ती तथा घटनास्थल पर पड़े हुए सामान की जप्ती को सिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इन साक्षियों के कथनों में जो विसंगतियां एवं त्रुटियां दर्शाई गई हैं, वे तुच्छ प्रकृति की हैं और उनसे उपर्युक्त साक्षियों की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती। ये सभी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं तथा इन्हें चोटें भी आई हैं, जिनकी पुष्टि डॉ. पी. सिंह द्वारा की गई है, जिन्होंने संजय जैन एवं संदीप जैन का परीक्षण कर उनके शरीर पर संबंधित चोटें पाई हैं।

अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता संदीप जैन की दुकान से आभूषणों की लूट की गई तथा लूट की इस घटना के दौरान अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता संदीप जैन एवं साक्षी संजय जैन को चोट पहुंचाई।

उपर्युक्त विचार-विमर्श के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 394/397 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की गई है। साथ ही, जिस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा लूट का प्रयास किया गया, उसे देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड भी अत्यधिक नहीं कहा जा सकता।

फलस्वरूप, अपील में कोई सार नहीं पाए जाने के कारण यह खारिज किए जाने योग्य है और इसे इस प्रकार खारिज किया जाता है।

सही/-

(धीरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur